

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.10(क)( )का.भा./डीएलबी/22/ 2521

दिनांक: 21/10/2022

आदेश

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 43 के क्रम में विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2025 दिनांक 01.06.2021 को दृष्टिगत रखते हुये ग्राम पंचायत रामगढ ( अलवर ) के निर्वाचित सरपंच को अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत पिपरोली के निर्वाचित सरपंच को नवगठित नगर पालिका रामगढ ( जिला अलवर ) के कंमश: उपाध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत में निर्वाचित वार्ड पंचो को नवगठित नगर पालिका रामगढ ( जिला अलवर ) में वार्ड सदस्य समझा जावेगा ।

उक्त आदेश माननीय उच्च न्यायलय जयपुर में दायर याचिका संख्या 7338/21 में पारित आदेश दिनांक 19/10/2022 की अनुपालना एवं याचिका के अन्तिम निर्णयाधीन जारी किए जा रहे है ।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।



(हृदेश कुमार शर्मा)  
निदेशक एवं संयुक्त सचिव  
दिनांक 21/10/2022

क्रमांक: प.10(ड)( )का.भा./डीएलबी/22/ 2522 - 2540  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज. जयपुर ।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर ।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर ।
5. अतिरिक्त महाधिवक्ता राज उच्च न्यायालय जयपुर को याचिका में जवाब प्रस्तुत कराने हेतु
6. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय राज. जयपुर ।
7. जिला कलक्टर, अलवर को पालनार्थ ।
8. उप खण्ड अधिकारी रामगढ (अलवर) ।
9. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर ।
10. सरपंच/उपसरपंच एवं निर्वाचित वार्ड पंच ग्राम पंचायत रामगढ/पिपरोली एवं अन्य ग्राम पंचायत नगर पालिका रामगढ में सम्मिलित ।
11. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका रामगढ (जिला अलवर)को भेजकर लेख है कि माननीय उच्च न्यायलय में दायर याचिका में शीघ्र जवाब प्रस्तुत करावें ।
12. जनसंपर्क अधिकारी, निदेशालय को प्रकाशन हेतु ।
13. प्रभारी IT cell को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
14. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ ।
15. सुरक्षित पत्रावली ।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी